

राजस्थान सरकार
पशुपालन विभाग

क्रमांक : पं. 6(07)पपा/2021

जयपुर, दिनांक 01.12.2021

—: आदेश :-

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा एस.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 16815/2021 दिनांक 02.12.2021 व अवमानना याचिका संख्या 237/2022 दिनांक 25.02.2022 में पारित आदेश के क्रम में एवं निरीक्षण समिति की अभिशप्ता अनुसार संस्था अमृतम पशुधन सहायक ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट, बातावाडी तह. अन्ता, बारां (चिराग ह्यूमन डवलपमेन्ट सोसायटी अलवर)को दो वर्षीय पशुपालन डिप्लोमा पाठ्यक्रम (AHDP) हेतु 50 सीट प्रतिवर्ष की प्रवेश क्षमता की संस्था स्थापित करने की स्वीकृति इस शर्त पर जारी की जाती है कि जैसे ही राज्य सरकार की नवीन पॉलिसी, निर्धारित मापदण्ड के साथ प्रभाव में आएगी एवं विभाग द्वारा नई विज्ञप्ति जारी कर पारदर्शिता पूर्वक आवेदन प्राप्त किये जाएंगे तब उक्त संस्था द्वारा पुनः आवेदन करना होगा।

राज्य सरकार द्वारा अन्य दो वर्षीय पशुपालन डिप्लोमा पाठ्यक्रम संस्थाओं के लिये पूर्व में जारी शर्तें/दिशा निर्देश उपरोक्त संस्था पर भी प्रभावी रहेंगे।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

आज्ञा से,

—sd—
(पी.सी. किशन)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. प्रमुख सचिव माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, पशुपालन मत्स्य एवं गोपालन विभाग, जयपुर।
6. रजिस्ट्रार, राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशुविज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्तानुसार विश्वविद्यालय स्तर पर उपरोक्त संस्था की सम्बद्धता एवं छात्र नामांकन संबंधित नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर इस विभाग को सूचित करें।
7. निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान जयपुर।
8. अध्यक्ष, चिराग ह्यूमन डवलपमेन्ट सोसायटी अलवर (अमृतम पशुधन सहायक ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट, बातावाडी तह. अन्ता, बारां)।
9. रक्षित पत्रावली।


शासन सचिव